पत्रांक—21 / बि॰रा॰नि॰प्रा॰-04 / 2018,सा0प्र0................ /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

उदय कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक.......................................

विषयः— **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में पदसृजन संबंधी स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 9910 दिनांक 28.06.2013 की कंडिका-4 के क्रम संख्या-1 में "परामर्शी" के सम्मुख स्तम्भ VI एवं VII को संशोधित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः— **स्वीकृत।**

"बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008" (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा-3(1) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-3(2) के अनुसार प्राधिकार में मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं उतने उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी होंगे जितना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। उक्त अधिनियम की धारा-4(3) में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के विभिन्न स्वीकृत्यादेशों द्वारा निर्वाचन प्राधिकार के लिए राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं।

2. दिनांक 12.04.2013 को आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक 3 पर दी गयी स्वीकृति एवं तदुपरांत मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 9910 दिनांक 28.06.2013 द्वारा "परामर्शी" सहित प्रधान आप्त सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, आशुलिपिक एवं कम्प्युटर ऑपरेटर के कतिपय पद सृजित किये गये हैं। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा प्राधिकार में "परामर्शी" का एक पद सृजित किया गया है जिसका नियत वेतन रु0 30,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है और इस पद पर सहकारिता सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी को संविदा पर नियुक्त किया जाना है। (स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न)

3. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि "परामर्शी" के पद पर सहकारिता सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नियोजन होता है जो लेवेल 12 के समकक्ष के पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार, प्राधिकार-कार्यालय के लिए सृजित "परामर्शी" पद के लिए निर्धारित मानदेय की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा अनुमान्य संविदा राशि से कम है। प्राधिकार-कार्यालय द्वारा "परामर्शी" पद के लिए स्वीकृत्यादेश संख्या 9910 दिनांक 28.06.2013 द्वारा निर्धारित संविदा मानदेय

राशि को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-6(i) के आलोक में अनुमान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुरोध पर सम्यक्‌रूपेण विचारोपरात विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 9910 दिनांक 28.06.2013 की कंडिका-4 के क्रम संख्या-1 में **"परामर्शी"** के सम्मुख स्तम्भ **VI** एवं **VII** को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान+ग्रेड	अभ्युक्ति
		VI	**VII**
	परामर्शी	**सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में अनुमान्य मानदेय।**	**बिहार सहकारिता सेवा के संयुक्त निबंधक अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु।**

5. "परामर्शी" पद के मानदेय में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष -2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष -001- निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0001- बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु, विपत्र कोड 33- 2070000010001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(उदय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/**बि.रा.नि.प्रा.-04/2018**,सा0प्र0................/पटना, दिनांक..

प्रतिलिपिः–~~दो~~ अतिरिक्त प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/**बि.रा.नि.प्रा.-04/2018**,सा0प्र0................/पटना, दिनांक..

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

Sanlekh Swikrityades

ज्ञापांक:–21/ **बि॰रा॰नि॰प्रा॰-04/2018**,सा0प्र0...897.../पटना, दिनांक....17/1/2020..........

प्रतिलिपि:– बजट शाखा/लेखा शाखा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई॰ टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/20

सरकार के अपर सचिव।

Sanlekh Swikrityades